न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 96 / 2011

जी.सी.एम.एस. :: 2011 / 00124

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		सरदारसिंह पुत्र देवसिंह जाति राजपूत निवासी मानी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.4.2024

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 4722 / 2014 अनवान सरकार बनाम सरदारसिंह में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 के द्वारा रेफरेन्स प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ पुनः नवीन रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करे।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.06.2018 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस हेतु उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

सरकारी पैराकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम मानी, पटवार हल्का गुडाकेसरसिंह तहसील मा.ज. जिला पाली की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में गत खसरा नम्बर 401 की भूमि किस्म गै.मु.वाली दर्ज है। उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 453 रकबा 0.3667 कायम किये गये। उक्त भूमि का आवंटन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा जीवाराम पुत्र जवानराम के पक्ष में दिनांक 03.02.1987 को कर दिया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 177 व 217 स्वीकृत किये गये तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 में इसकी पृविष्टि की गयी। उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 03.02.1987 की पालना में नामान्तकरण संख्या 03 के द्वारा जीवाराम पुत्र जवानराम रायका सा. गुडा केशरसिंह को गैर खातेदार दर्ज किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 09.09.2004 की पालना में नामान्तकरण 177 के द्वारा जीवाराम पुत्र जवानराम रायका को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया तथा इसके पश्चातवर्ती रजिस्ट्रर्ड बेचान जरिये नामान्तकरण संख्या 217 से सरदारसिंह पुत्र पेपसिंह कौम राजपूत सा. मानी को खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी गै.मु.वाली के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन / नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गै.मु.वाली दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम गुडा नवा मानी तहसील खारची हाल ग्राम मानी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2025 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 453 जो कि गत खसरा नम्बर 392मी, 401मी, 402मी से मिलकर बना है। खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2005 अनुसार खसरा नम्बर 401 की किस्म गै.मु.वाली दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा खसरा नम्बर 453 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन जीवाराम पुत्र जवानराम रायका के पक्ष में दिनांक 03.02.1987 को किया गया जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 3 के द्वारा जीवाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा इसके पश्चावर्ती नामान्तकरण संख्या 177 के द्वारा जीवाराम को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। हाल खसरा नम्बर 453 का साबिक खसरा नम्बर 401 था जिसकी किस्म गै.मु.वाली दर्ज थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भुमि के आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबंध है इसलिए जीवाराम के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

जैर प्रार्थना पत्र आराजी का जरिये बेचाण नामान्तकरण संख्या 217 अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत होने से अप्रार्थी सरदारसिंह पुत्र पेपसिंह को खातेदार दर्ज किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार खसरा संख्या 453 रकबा 0.3667 किस्म बा.दो. अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि की किस्म पूर्व में गै.मु.वाली दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश दिनांक 03.02.1987 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3, 177 व इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 217 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो के विवेचन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 अनुसार खसरा नम्बर 453 रकबा 0.3667 बा.दो. दर्ज है। खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2025 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 453 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा किस्म बा.दो. गत खसरा नम्बर 392मी, 401मी, 402मी से मिलकर बना है। खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2005 अनुसार खसरा नम्बर 392 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा गै.मू.ठरडा, खसरा नम्बर 401 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै. मू.वाली तथा खसरा नम्बर 402 रकबा 106 बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. ओरण दर्ज है। खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2005 अनुसार गत खसरा नम्बर 401 की किस्म गै.मू.वाली एवं जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 अनुसार गत खसरा नम्बर 401 की किस्म गै.मु.वाला दर्ज होने से प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया गया था।

परिणामस्वरुप तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जीवाराम पुत्र जवानाराम जाति राईका के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.02.1987 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3 व इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 177, 217 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः गैर मुमकीन वाली एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली